

सं० 5(6)/2013-एम एस एम ई नीति  
भारत सरकार  
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय  
विकास आयुक्त(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम)का कार्यालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली -110108

दिनांक 05 नवम्बर 2014

विषय: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत क्रिया-कलापों का विनिर्माण या सेवा के अंतर्गत वर्गीकरण ।

इस कार्यालय को क्रिया-कलापों को विनिर्माण या सेवा के अंतर्गत वर्गीकरण पर स्पष्टीकरण के लिए संदर्भ प्राप्त हुए हैं । इन सभी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत जाँचने के उपरांत यह स्पष्ट किया जाता है:

**A) Activities considered as manufacturing:**


- i) Cotton Ginning;
- ii) Power Generation by conventional as well as by non-conventional processes;

**B) Activities considered as Service:**

- i) Retreading of Tyre;
- ii) Infrastructure and Real Estate activities (Enterprise should indicate within brackets the specific activities, it dealt with, concerning Infrastructure and Real Estate);
- iii) Power (Electrical) Distribution Service;
- iv) Warehouse, Godown and Cold Storage services.

2. यह स्पष्टीकरण पिछले सभी स्पष्टीकरणों का स्थान लेगा ।


3. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को वित्त संस्थानों द्वारा ऋण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों/निर्देशों के अनुसार जारी किया जाता है ।

  
(डा० ओ० पी० महेता)  
निदेशक (सू०ल०म०उ० नीति)

1. प्रधान सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मामलों के प्रभारी, सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र ;
2. अध्यक्ष, नाबार्ड, मुम्बई ;
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सिडबी, लखनऊ ;
4. अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ, मुम्बई ;
5. उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई ;
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, वाणिज्य बैंक एवं वित्तीय संस्थान, राज्य वित्तीय निगम सहित-डाक सूचि अनुसार;
7. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएसआईसी, नई दिल्ली ;
8. आयुक्त/निदेशक (उद्योग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मामलों के प्रभारी, सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र ;
9. निदेशक/उपनिदेशक प्रभारी, एमएसएमई डी आई/ शाखा एमएसएमई डी आई, सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र;
10. अध्यक्ष, एमएसएमई एसोसिएशनस्, डाक सूचि अनुसार;
11. अध्यक्ष, आई सी ए आई, पो० ब० न० 7100, आई सी ए आई भवन, आई पी इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली - 110104
12. सी० ई० ओ०, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फार एम एस ईज, सातवाँ तल, एस एम ई विकास केंद्र, सी-11, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कमप्लेक्स, बांद्रा(पूर्व), मुम्बई -51.

Copy to:

1. Shri Aditya Chittlangia, President, The Rajasthan Ginning & Pressing Industries Association, C/o Chittlangia Cotton Ginning and Pressing Factory, National Highway 15, Sri Ganganagar-335001- -for information w.r.t. their letter dated 26.9.2013;
2. The Principal Secretary/Industries Commissioner and Director of Industries and Commerce, No.36, South Canal Bank Road, Raja Annamalaipuram, Mandavelipakkam, Chennai-28 for information w.r.t. their letter No.922/PDK 2/2013 dated 15.10.2013;
3. Asst. General Manager, Punjab National Bank, MSME Division, Head Office, Atma Ram House, 1, Tolstoy Marg, New Delhi- for information w.r.t. their letter No. MSME/Misc. dated 22.10.2013;
4. Asst. General Manager, RBI, RPCD, Central Office, 10th Floor, C.O. Building, P.B. No. 10014, Mumbai-400 001- for information w.r.t. their letter No. RPCD.MSME & NFS No.729/06.02.31/2013-14 dated 16.7.2013; and letter No. RPCD.MSME & NFS No.8548/06.02.31/2023-13 dated 22.2.2013;

  
(डा० ओ० पी० महंता)